पंजीकृत संख्या 72/54–55 || वन्दे मातरम्|| Tel. 0141-2362212
Web site: www.rssrashtriya.org E- mail: rss.rashtriya@gmail.com

राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

कार्यालय : 82, पटेल कॉलोनी, गवर्नमेन्ट प्रेस के पास, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर–302001
संरक्षक : सर्वश्री नानक कुन्दनानी, संतोष चन्द्र सुराणा, श्यामसुन्दर शर्मा, चौथमल सनाढ्य, राजनारायण शर्मा
(Regd. & Recognised by Govt. & Affiliated to ABRSM, AIPTF, AISTF, E.I. & RRKM)

प्रहलाद शर्मा	उमरावलाल वर्मा	देवलाल गोचर
अध्यक्ष	सभाध्यक्ष	महामंत्री
मो. 94140–56109	मो. 94148–52027	मो. 94144–03756

दिनांक : 11.09.2017

प्रेस विज्ञप्ति

जयपुर 11 सितम्बर 2017। राज्य सरकार के आमन्त्रण पर राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के शिष्टमंडल की शासन सचिवालय में शिक्षामंत्री की अध्यक्षता में शिक्षा, वित्त एवं कार्मिक विभाग के अधिकारियों के साथ वार्ता सम्पन्न हुई।

वार्ता की जानकारी देते हुए प्रदेश महामंत्री देवलाल गोचर ने बताया कि वार्ता में संगठन ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वरिष्ठ अध्यापक/समकक्ष का दिनांक 01.07.2013 से **14430** रू.वेतन फिक्स किया गया है इनके वेतन फिक्स निर्धारण में अध्यापक, व्याख्याता एवं प्रधानाध्यापक (मा.शि.) के लिए प्रयुक्त केन्द्र के अनुरूप रिवाईज वेतन के अनुसार फॉर्मूले के अनुरूप रिवाईज वेतन अर्थात् – **6500 x 1.86 = 12090 + 4200 = 16,290** रू. पर किया जाना चाहिये। साथ ही व्याख्याता/समकक्ष को 01.07.2013 से **18,750** रू. मूल वेतन मानकर वेतन निर्धारण किया गया है। इनके वेतन फिक्स निर्धारण में अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक (मा.शि.) के लिए प्रयुक्त केन्द्र के अनुरूप रिवाईज वेतन के अनुसार फॉर्मूले का उपयोग किया गया है जो कि उचित है, लेकिन दिनांक 28.07.2017 के आदेश से वार्षिक वेतन वृद्धि (**G.I.**) रोक देने के कारण नई विसंगति उत्पन्न हो गई है। संगठन का मत है कि केन्द्र के अनुरूप व्याख्याता/समकक्ष का वेतन **18750** रू. रखते हुए ही आगामी वेतन निर्धारण किया जाना चाहिए। संगठन ने 2007 से 2009 में नियुक्त अध्यापक एवं प्रबोधक को 2 वर्ष के परीवीक्षा काल के पश्चात् **11,170** रू. मूल वेतन मानकर वेतन निर्धारण करने का विरोध करते हुए कहा कि जब 2012 से 2015 में नियुक्त अध्यापक का **12,900** रू. मूल वेतन मानकर वेतन निर्धारण किया गया है तो 2007 से 2009 में नियुक्त अध्यापकों एवं प्रबोधक का वेतन निर्धारण भी इसी अनुरूप **12,900** रू. मूल वेतन मानते हुए किया जाना चाहिए।

वार्ता में केन्द्र के अनुरूप ही संगठन ने अध्यापक/समकक्ष का प्रारम्भिक ग्रेड–पे **4200** रू. किया जाने, वरिष्ठ अध्यापक/समकक्ष का प्रारम्भिक ग्रेड–पे **4600** रू.किया जाने, प्रधानाचार्य/समकक्ष एवं जिला शिक्षा अधिकारी का प्रारम्भिक ग्रेड–पे **7600** रू. किया जाने, पुस्तकालयाध्यक्ष/समकक्ष का प्रारम्भिक ग्रेड–पे

4200 रू. किया जाने, वरिष्ठ पुस्तकालयाध्यक्ष/समकक्ष का प्रारम्भिक ग्रेड–पे 4600 रू. किया जाने एवं प्रयोगशाला सहायक के चयनित वेतनमान में आ रही विसंगतियों को तत्काल दूर करने का आग्रह किया तथा इस सम्बन्ध में औचित्य सिद्ध किये। संगठन ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा शिक्षकों को उक्त वेतनमान दिये जाने की अनुशंसा को अपने पक्ष का प्रमुख आधार बनाते हुए मंत्री महोदय से इसी अनुरूप विभाग द्वारा माननीया मुख्यमंत्री से सिफारिश करने का आग्रह किया।

राज्य सरकार की ओर से संयुक्त शासन सचिव (वित्त) श्री महेन्द्रसिंह भूकर ने जानकारी देते हुए बताया कि केबिनेट सब कमेटी उक्त विसंगतियों के सम्बन्ध में विचार कर रही है, उसकी रिपोर्ट आने के पश्चात् उपयुक्त निर्णय किया जायेगा।

प्रदेशाध्यक्ष प्रहलाद शर्मा ने बताया कि वार्ता में 2015 में नियुक्त शिक्षकों के वेतन निर्धारण करने, 2012 में नियुक्त शिक्षकों के बकाया बोनस एवं स्थिरिकरण एरियर का भुगतान करने, सामाजिक विज्ञान एवं वाणिज्य विषय के अध्यापकों को उच्च प्राथमिक विद्यालय के समस्त प्रधानाध्यापक पद एवं हैड टीचर के पद पर पदोन्नति करने, वेतन से वंचित शिक्षकों को अविलम्ब बकाया वेतन दिलवाने, काउन्सलिंग से एक सप्ताह पूर्व समस्त रिक्त पदों की जानकारी दिये जाने एवं समस्त रिक्त पदों को प्रदर्शित करने तथा नवीनतम नामांकन के आधार पर स्टाफिंग पैटर्न करने पर भी चर्चा की। शिक्षा सचिव ने तत्काल बकाया वेतन, बोनस, एरियर का भुगतान करने के निर्देश दिये तथा 2015 में नियुक्त शिक्षकों के वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में आश्वासन दिया कि वर्तमान में अध्यापक नियुक्ति की प्रक्रिया सम्पन्न हो रही है इसके पूरा होते ही सम्पूर्ण राज्य में इन शिक्षकों के वेतन निर्धारण की प्रक्रिया पूर्ण हो जायेगी। अन्य बिन्दुओं पर भी शिक्षामंत्री ने सकारात्मक निर्णय लिये जाने का आश्वासन दिया।

वार्ता में प्रदेशाध्यक्ष प्रहलाद शर्मा, महामंत्री देवलाल गोचर, संगठन मंत्री महावीर प्रसाद सिंहल एवं प्रदेश मंत्री रवि आचार्य शामिल हुए। शासन की ओर से माननीय शिक्षामंत्री जी की अध्यक्षता में शासन सचिव श्री नरेशपाल गंगवार, विशिष्ठ शासन सचिव श्री अशफाक हुसैन, संयुक्त शासन सचिव (वित्त) श्री महेन्द्रसिंह भूकर, उपशासन सचिव श्री कमलेश आबूसरिया, निदेशक श्री नथमल डिडेल, विशेषाधिकारी श्री बी. के. गुप्ता एवं लेखाधिकारी शिक्षा ग्रुप 5 ने भाग लिया।

भवदीय

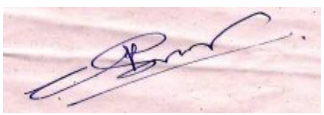

(श्रीनिवास शर्मा)
प्रदेश संयुक्त मंत्री